

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगू जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :: 105/2019

1. कन्हैयालाल पिता प्यारचन्द्र सुथार निवासी बिछोर तह0 बेगू
2. देउबाई पत्नि प्यारचंद जाति सुथारी निवासी बिछोर तह0 बेगू
प्रार्थी

बनाम

1. मुनीर पिता फकरुदीन जी जाति मंसूरी निवासी बिछोर तह0 बेगू
2. छोटू पिता भंवरलाल जी जाति सुथार निवासी बिछोर तह. बेगू
3. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगू जिला चित्तौड़गढ़
विपक्षीगण

उपस्थित :: श्री एस.के.बिल्लू
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक:: 21.01.2020

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.बिल्लू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिछोर प.ह. बिछोर की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 26 संवत् 2072 से 275 में निम्न कृषि आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है जिसमें प्रार्थी के नाम की जमीन पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। कृषि आराजीयात का विवरण निम्न है:

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
26	2368/1255	0.2575
	2361/1128	0.0300
	2362/1126	0.1694
	2363/1129	0.0194
	2365/1131	0.0389
	2371/1297	0.1925
किता- 6		0.7074 हैक्टर

यह कि वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन विपक्षीगण सभी पडोसी है तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य खेत की हकाई जुताई बुवाई घास की कटाई लगान जमा कराने आदि को लेकर उनके मध्य में विवाद होता रहता है। जिसके स्थायी समाधान हेतु मुझ प्रार्थी ने विपक्षी को तहसील में चलकर आपसी सहमति से कृषि आराजीयात की पत्थरगढ स्थायी सीमांकन कराये जाने की बात दिनांक 28.05.2019 को कही तो विपक्षी के द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने से प्रार्थी को अपनी कृषि आराजीयात की स्थायी सीमांकन कराये जाने हेतु यह पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है।

यह कि दिनांक 10.06.2019 को जब प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी को तहसील में चलकर आपसी सहमति से पत्थरगढी करवाने को कहा तो विपक्षी ने प्रार्थीगण को संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और कहा कि तुम्हे पत्थरगढी करवानी हो तो तुम ही जाकर करवा लो और मौके पर लडाई झगडा करने पर आमादा हुए जिससे कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। प्रार्थनरा पत्र वर्णित कृषि आराजीयात ग्राम बिछोर में स्थित होकर न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने एवं श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से यह प्रार्थना न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित मौजा बिछोर प.ह. बिछोर की खाता संख्या 26 में अंकित आराजीयात किता 6 रकबा 0.7074 हैक्टर भूमि की मौके पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण प्रकरण में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने

उपखण्ड अधिकारी

बेगू, जिला चित्तौड़गढ़

से उनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई जिन्होंने प्रार्थना पत्र अनुसार आराजी की पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा बिछोर प.ह. बिछोर सं. 2072 से 75 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थी कन्हैयालाल पिता प्यारचन्द्र सुथार वर्णित आराजी संख्या 2368/1255, 2361/1128, 2362/1126, 2363/1129, 2365/1131,, 2371/1297 किता-6 रकबा 0.7074 हैक्टर भूमि के खातेदार दर्ज है, जिन्हें अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा बिछोर प.ह. बिछोर की आराजी संख्या 2368/1255, 2361/1128, 2362/1126, 2363/1129, 2365/1131, 2371/1297 किता-6 रकबा 0.7074 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में किए जाने हेतु तहसीलदार, बेगू को 500/-रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, बेगू को पत्थरगढी की पालना हेतु दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी की पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट पेश करें।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास/सुनाया गया।

श्रीमान् | शरिखा | 17 130281120

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
बेगू, जिला-चित्तौड़गढ़

आदेश प्रति तहसीलदार, बेगू को पत्थरगढी करा पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बेगू, जिला-चित्तौड़गढ़
बेगू, जिला-चित्तौड़गढ़